संचिका संख्या–14 / विविध–09 / 15 531(14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

11.04.17

विषयः–बिहार पुलिस के सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि तक के कर्मियों / पदाधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों के राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति जो वर्त्तमान मे सचिव / प्रधान सचिव गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्रत्योजित करने के सम्बन्ध में।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरंकार पटना के संकल्प सं0–946(14), दिनांक–14.08.2015 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत मार्ग दर्शन / दिशा निर्देश दिया गया है।

2. उक्त विभागीय संकल्प की कंडिका–5 के अनुसार राज्य के बाहर बिना पुर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज के घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के सचिव / प्रधान सचिव में निहित है।

3. उपर्युक्त वर्णित संकल्प की कंडिका–6 (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार रूपये पचास हजार से ऊपर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति भी, निर्धारित स्तरों की अनुशंसा / सहमति के उपरांत विभाग के सचिव / प्रधान सचिव में निहित है। उक्त संकल्प की कंडिका 6(v) के प्रावधानानुसार चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव / प्रधान सचिव में निहित है।

4. उक्त क्रम में गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि बिहार पुलिस में विभिन्न संवर्ग में कार्यरतबल की संख्या अत्याधिक है। इनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रधान सचिव गृह विभाग द्वारा दी जाती है। गृह विभाग में पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, जिससे अत्याधिक कार्यभार पड़ता है। साथ ही दावों का ससमय निष्पादन भी नहीं हो पाता है, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है।

5. वर्णित स्थिति में बिहार पुलिस के सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि तक के कर्मियों / पदाधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों के राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति जो वर्त्तमान मे सचिव / प्रधान सचिव गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक को प्रत्योजित की जाती है।

6. भारतीय पुलिस सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पूर्व की तरह विभाग के प्रधान सचिव / सचिव द्वारा दी जाती रहेगी।

7. एतद विषयक पूर्व निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

(सच्चिदानन्द चौधरी) 10/4/17

विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक– 536(14)   पटना, दिनांक– 11.04.17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहर गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/– 10/4/17
विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 536(14)   पटना, दिनांक– 11.04.17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सभी सिविल सर्जन एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 10/4/17
विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

D:/ rajesh/ sankalp/home department.